2016=00055

न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी

बइजलास–यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद सं. 65/2019

वादीगण

1. बरकत खां पुत्र कायमदीन
2. नजीर खां पुत्र कायमदीन
3. हबीब खां पुत्र कायमदीन
4. रईसखां पुत्र गफूर खा
5. सहीदो पत्नि गफूर खां
6. सरादीन पुत्र रायधनखां
7. नसरदीन पुत्र रायधनखां
   फौत के कायम मुकाम

7/1 अमिनत पत्नि सरदीन

8. इनायतोंखातु पत्नि अजीज खां
9. इकबालखां पुत्र अजीज खां
10. सुरतानखां पुत्र इलमदीन
11. बसीरखां पुत्र इलमदीन
12. जैनफ पत्नि इलमदीन
13. कासमखां पुत्र हनीफखां
14. मिश्रीखां पुत्र हनीफखां
15. बसीरखां पुत्र हनीफखां
16. आमदीन पुत्र अखीमोहम्मद
17. लालदीन पुत्र अखीमोहम्मद
    जाति मुसलमान निवासी डेरियों की ढाणी
    तहसील लोहावट

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चूनाराम पुत्र जीताराम
2. भोमाराम पुत्र जीताराम
3. डाली पत्नि रामकिशन
4. गिरधारीराम पुत्र रामकिशन
5. दुलाराम पुत्र रामकिशन
6. झमु पुत्री रामकिशन
   वाद मित्र माता डाली
7. निजरोंदेवी पत्नि तिलोकाराम
8. रेवतराम पुत्र तिलोकाराम
9. मांगीलाल पुत्र तिलोकाराम
10. प्रेमाराम पुत्र तिलोकाराम
11. पुष्पा पत्नि तिलोकाराम
12. गंगा पुत्री तिलोकाराम
    प्रतिवादीगण संख्या 09 से 12
    जरीये वाद मित्र माता निजरों
13. संतोष पुत्री तिलोकाराम
14. रजा मोहम्मद पुत्र कायमदीन
15. नेकु खां पुत्र कायमदीन
16. सरीफ खां पुत्र कायमदीन
17. यारुखां पुत्र कायमदीन
18. हाफीजउल्ला पुत्र गफूर खां
19. सखीना पुत्री गफूर खां
20. एमणों पुत्री कायमदीन
21. जाफरहुसैन पुत्र अजीज खां
22. मुखत्यारखां पुत्र अजीज खां
23. सालेमोहम्मद पुत्र इलमदीन
24. मूलीफर पुत्र इलमदीन
25. सिकन्दर खां पुत्र हनीफ खां
26. सफी मोहम्मद पुत्र हनीफ खां
27. एसबीआई बैक फलौदी
28. ओ बी सी बैक शाखा फलौदी
29. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक
    निमार्ण विभाग फलौदी
30. तहसीलदार फलौदी
31. अब्दूल गफूर पुत्र हनीफ खां
    निवासी डेरियों की ढाणी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थितः–

1. रेवन्तसिंह पातावत अधिवक्ता वादीगण
2. श्री भगवती लाल पालीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक:- 31/12/2019

वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है की वादीगण एंव प्रतिवदीगण सख्या 14 से 26 व 31 की पीढी दर पीढी से कदीमी कब्जा काशत की भूमि खेत खं0 नं0 466 व 468 गांव डेरियों की ढाणी तहसील फलोदी हाल तहसील लोहावट में स्थित है वक्त भु प्रबन्ध संवत 2012 में मुल राजस्व गांव जालोड़ा के खं0 नं0 466 की उत्तरी दिशा की 15 बीघा भूमि के उत्तर में जीताराम के खेत खं0 नं0 436 व 437 में शामिल गलत भुल एंव गलती से पेमाईश की जाकर दर्ज अभिलेख कर दिया था जबकी खं0 नं0 436 की दक्षिण दिशा की 15 बीघा व खं0 नं0 437 की दक्षिणी दिशा की 15 बीघा काशत भूमि पर कदीम से कब्जा काश्त वादीगण एंव प्रतिवादीगण सख्या 14 से 26 व 31 के पुर्वजो का रहा है।

जीताराम की मृत्यु के बाद खं0 नं0 436 व 437 की भुमि के हकदार वारिसान संख्या प्रतिवदीगण 1 से 13 को हकदार मानकर उनके नाम दर्ज है ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवदीगण 1 से 13 ने जबाब दावा प्रस्तुत कर बताया कि गांव डेरियों की ढाणी तहसील लोहावट जिला जोधपुर कि खेत खं0 नं0 436 मे से 15 बीघा दक्षिण दिशा की व खं0 नं0 437 मे से 15 बीघा दक्षिण दिशा की जमीन वक्त सेटलमेन्ट के समय हमारे पुर्वज जीताराम के नाम से गलत दर्ज पेमाईश होकर दर्ज हुई है। जिसको अगर वादीगण सख्या 1 से 17 व प्रतिवदीगण सख्या 14 से 24 व 31 के नाम दर्ज करके शुद्विकरण किया जाता है तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपती नही है इस पर अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवदीगण की बहस सुनी गई व जवाब का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी नक्शा का अवलोकन किया बाद अवलोकन एंव बहस पर मनन के बाद वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया गया है।

आदेश

वादीगण का अन्तर्गत धारा 88.92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व दुरस्ती अभिलेख अर्न्तगत धारा 131.136 राजस्थान भू राजस्व अभिलेख का आंशिक स्वीकार किया जाकर गांव डेरियों की ढाणी तहसील लोहावट में प्रतिवदीगण संख्या 1 से 13 के पुर्वज जीताराम के नाम दर्ज हुई वक्त सेटलमेंन्ट की भूमि खसरा नम्बर 436 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की व खसरा नम्बर 437 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की भूमि भू प्रवन्ध कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादीगण के पुर्वज व उसकी मृत्यू के बाद उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुई है उसको वादीगण सख्या 1 से 17 व प्रतिवादीगण संख्या 14 से 24 व 31 अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है इसलिए गांव डेरियों की ढाणी तहसील लोहावट की भूमि खसरा नम्बर 436 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की व खसरा नम्बर 437 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की जमीन सड़क (कटाण) रास्ता को शमिल करते हुए कुल दोनो खसरों में से 30 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 1 से 12 व प्रतिवादीगण संख्या 14 से 24 का 1/3 हिस्सा एंव वादीगण संख्या 13 से 17 व प्रतिवादीगण संख्या 31 को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं। इसी माफिक डिक्री पर्चा जारी हो तथा तहसीलदार लोहावट इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2019...... को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फलौदी

सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

दर्ज हुई वक्त सेटलमेंन्ट की भूमि खसरा नम्बर 436 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की व खसरा नम्बर 437 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की भूमि भू प्रबन्ध कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादीगण के पुर्वज व उसकी मृत्यू के बाद उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हुई है उसको वादीगण सख्या 1 से 17 व प्रतिवादीगण संख्या 14 से 24 व 31 अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है इसलिए गांव डेरियों की ढाणी तहसील लोहावट की भूमि खसरा नम्बर 436 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की व खसरा नम्बर 437 में से 15 बीघा दक्षिण दिशा की जमीन सड़क (कटाण) रास्ता को शमिल करते हुए कुल दोनो खसरों में से 30 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 1 से 12 व प्रतिवादीगण संख्या 14 से 24 का 1/3 हिस्सा एंव वादीगण संख्या 13 से 17 व प्रतिवादीगण संख्या 31 को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 12 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत

सहायक कलक्टर ओहदा

फलोदी (जोधपुर)

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—

नोटः— इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.03.04 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: